पंचायत निगरानी संख्या : 123/2024
उनवान : मानाराम बनाम मृत मोतीराम के कायम मुकाम लक्ष्मण व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 123/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/137

प्रार्थी :–

मानाराम पुत्र श्री हरजीराम जाति
देवासी निवासी रघुनाथपुरा
तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मृत मोतीराम पुत्र रेंगा जी जाति देवासी निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली जिला पाली राज के कायम मुकाम :–
   - 1.1. लक्ष्मण पुत्र स्व. मोतीराम
   - 1.2. हटाराम पुत्र स्व. मोतीराम
   - 1.3. गेलुदेवी पत्नी स्व. मोतीराम जातिगण देवासी निवासी रुघनाथपुरा तह. बाली
   - 1.4. देवी पुत्री स्व. मोतीराम पत्नी जवानाराम जाति देवासी निवासी गोडाना तहसील शिवगंज जिला सिरोही
   - 1.5. कमला पुत्री स्व. मोतीराम पत्नी रामाराम जाति देवासी निवासी सुली तहसील शिवगंज जिला सिरोही
   - 1.6. पाबुदेवी पुत्री स्व. मोतीराम पत्नी नाथाराम जाति देवासी निवासी कल्लापुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही राज.
2. ग्राम पंचायत गुडा दूदनी जरिये सरपंच तहसील बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध संकल्प संख्या 07 दिनांक 22.11.1999 जो ग्राम पंचायत दूदनी ने मिसल संख्या

अति. जिला कलक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 123/2024
उनवान : मानाराम बनाम मृत मोतीराम के कायम मुकाम लक्ष्मण व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या 79/99 में पारित किया तथा जिसकी पालना में पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 को पारित किया उसको निरस्त करने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांक: 28.04.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **तथाकथित संकल्प संख्या 07 दिनांक 22.11.1999 जो ग्राम पंचायत दूदनी ने मिसल संख्या 79/99 में पारित किया तथा जिसकी पालना में पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 को पारित किया उसको निरस्त करने बाबत** पेश की गई।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार प्रार्थी मानाराम रघुनाथपुरा तहसील बाली जिला पाली का मूल निवासी है प्रार्थी का कब्जाशुदा हक हकुक अधिकारों का मकान ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित है। जिसके पडौस निम्न है:– उत्तर में– रास्ता, दक्षिण दिशा में निम्बाराम का बाड़ा, पूर्व दिशा में – रास्ता व पश्चिम दिशा में निम्बाराम का बाड़ा आया हुआ स्थित है। प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में आने जाने हेतु रास्ता स्थित है उक्त रास्ते पर प्रार्थी के मकान का मुख्य दरवाजा है जिस पर लोहे का गेट लगा हुआ है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वाले उत्तर दिशा में स्थित रास्ते से अपने घर में आना जाना करते है प्रार्थी उक्त रास्ते का आज दिन तक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थीगण के पिताजी मोतीराम जी ने प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में स्थित रास्ते का तत्कालीन ग्राम पंचायत से मिलावट करके विधि विरुद्ध तरीके से अपने नाम से पट्टा जारी करवा दिया है, एवं अवैध पट्टे की आड़ में अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने पर अमादा है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22.11.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 रास्ते की भूमि का पट्टा होने के कारण निरस्त योग्य है।

यह कि, जैर निगरानी संकल्प संख्या 07 दिनांक 22.11.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 राजस्थान पंचायत राज नियमों को ताक पर रखकर रास्ते की भूमि का पट्टा अपनी अधिकारिता से परे जाकर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने फर्जी एवं कुटरचित रुप से जारी किया है जो पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 निरस्त करने योग्य है।

यह कि, अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच से मिलावट करके प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में स्थित रास्ते की भूमि का पट्टा बना दिया जो इस निगरानी की विषयवस्तु है। सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने हेतु साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो इस निगरानी का अंग है जिसे इस निगरानी के साथ पढ़ा जावे। उपरोक्त निगरानी में लाल स्याही से दर्शित हिस्सा जैर निगरानी में विवादित भूमि हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

यह कि, अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 ने प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में स्थित रास्ते की भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण करने की कोशिश की एवं प्रार्थी को अपने मकान का मुख्य दरवाजा बंद करने के लिए कहा तो प्रार्थी द्वारा रोकने पर अप्रार्थीगण ने अपने पिताजी के पक्ष में पट्टा जारी होना बताया तब प्रार्थी को सवप्रर्थम जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत में रास्ते की भूमि के पट्टे व मिसल की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी को मिसल व पट्टे की प्रमाणित प्रतिया दी। प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर प्रार्थी को फर्जी व कुटरचित पट्टे की जानकारी हुई, नकल मिलते ही प्रार्थी पट्टे को निरस्त कराने की निगरानी पेश कर रहा है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच वगैरह से मिलावट कर प्रार्थी के मकान की उत्तर दिशा में स्थित रास्ते की भूमि का आगे वर्णित अनुसार अधिकारिता विहिन विधि एवं नियमों के विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया उक्त जैर निगरानीग्रस्त पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अमादा है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पारित तथाकथित प्रस्ताव संख्या 07 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4565 निरस्त करने योग्य है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमावें तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी तथाकथित जैर निगरानी संकल्प संख्या 07 दिनांक 22.11.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 को निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 लगाय 1/6 की ओर से काबिल अधिवक्ता ने निगरानी याचिका का निम्नानुसार जवाब पेश किया :–

1. यह है कि पद संख्या 1 जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी मानाराम ग्राम रघुनाथपुरा का स्थाई निवासी नहीं है ना ही ग्राम रघुनाथपुरा में निवास करता है। प्रार्थी द्वारा जो स्वयं का आवास बताया गया है, उस संबंध में कोई दस्तावेजात प्रार्थना पत्रके साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है, ना ही ग्राम पंचायत दुदनी द्वारा मानाराम पुत्र हरजीराम देवासी के पक्ष में कोई पट्टा जारी किया गया है, जिससे यह तथ्य साबित हो कि मानाराम का ग्राम रघुनाथपुरा में कोई मकान स्थित हो, ना ही अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में मकान के उत्तर मे, दक्षिण में, पूर्व व पश्चिम में, स्थित क्षेत्रों का हवाला दिया गया है एवं वो भी गलत रुप से अंकन किया गया है। प्रार्थी कई वर्षो से ग्राम रघुनाथपुरा में निवास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बताये गये मकान से उत्तर दिशा का उपयोग रास्ते के रुप में किया जाना पूर्णतया गलत है। अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय मोतीराम के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 123/2024
उनवान : मानाराम बनाम मृत मोतीराम के कायम मुकाम लक्ष्मण व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

नाम से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है जो कतई निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

2. यह है कि पद संख्या 02 का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतया नियमों के अन्तर्गत पट्टा संख्या 4465 दिनांक 17.12.1999 को जारी किया गया है जो कतई फर्जी व कुटरचित नहीं है ना ही निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि पद संख्या 03 का जवाब इस प्रकार है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है रास्ते की जमीन पर किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं बनाया गया है ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अप्रार्थीगण के पिता के पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि पर सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करते हुए विधिनुसार पट्टा जारी किया गया है प्रार्थी द्वारा जो नजरी नक्शा निगरानी के साथ प्रस्तुत किया है वह मनगढ़न्त व पूर्णतया फर्जी रुप से तैयार कर पेश किया गया है जो किसी भी रुप में विधि मान्य नहीं है।
4. यह है कि पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6 ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया एवं न ही प्रार्थी का कोई मुख्य दरवाजा अप्रार्थीगण के पट्टाशुदा भूमि पर स्थित है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा सन 1999 में जारी किया गया है एव उसपे पूर्व से ही पट्टाशुदा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी का अब होने के तथ्य पूर्णतया गलत है प्रार्थी के स्वयं की भूमि का कोई दस्तावेजात निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी अवैधानिक तरीके से अप्रार्थीगण की पट्टाशुदा व कब्जाशुदा भूमि से बेदखल करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी पट्टा जारी होने के 24 वर्ष पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत दूदनी से तलब कर शामिल पत्रावली किया गया एवं बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 में रास्ते की भूमि को सम्मिलित कर विधि विरुद्ध ढंग से अप्रार्थी पक्ष के पिता/पति स्वर्गीय मोतीराम के नाम पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी के मकान की उत्तर दिशा में स्थित उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थी आवागमन करते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा उपरोक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है, जिसका बिन्दुवार विवरण निगरानी के पैरा 02 से 11 में विस्तृत रुप से दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पारित संकल्प संख्या 07 दिनांक 22.11.1999 एवं उसके अनुसरण में जारी आलोच्य पट्टा संख्या 4565 निरस्त किया जाए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 123/2024
उनवान : मानाराम बनाम मृत मोतीराम के कायम मुकाम लक्ष्मण व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान जवाबपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने बिना किसी ठोस आधार के हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थी के मकान के हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके उपरन्त भी हमारी पट्टाशुदा भूमि में अवैध रुप से लौहे की फाटक लगाकर हमारे वैधानिक अधिकारों के उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। वर्ष 1999 में सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया की पालना करते हुए हमारे पक्ष में पट्टा जारी किया गया था, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी भारी जुर्माने के साथ खारिज की जाए।

अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा प्रेषित प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण विश्लेषण उपरांत हस्तगत निगरानी के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु उल्लेखनीय है:–

1. प्रार्थी ने ज़रिए निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 4565 दिनांक 17.12.1999 को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रार्थी के मकान की उत्तर दिशा में स्थित रास्ते की भूमि को भी पट्टाशुदा भूमि में सम्मिलित कर दिया गया है जिससे कि निगरानीकर्ता आवाजाही करते है। प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ एक नजरी नक्शा प्रस्तुत कर उक्त रास्ते की स्थिति को दर्शाने का प्रयत्न किया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ अपने मकान का पट्टा अथवा ग्राम पंचायत द्वारा ज़ारी ऐसा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रार्थी के मकान की उत्तर दिशा में कोई रास्ता विद्यमान है। प्रार्थी अन्य पड़ौसियों के पट्टे इत्यादि भी प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जो उनके इस तर्क की पुष्टि कर सके।
   महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रार्थी द्वारा निगरानी के पद संख्या एक में अंकित चतुर्दशी में यह अंकन किया है कि प्रार्थी के मकान की पूर्व दिशा में रास्ता विद्यमान है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाबपत्र के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ में भी प्रार्थी के मकान के चिपते ही आम रास्ता दृष्टिगोचर होता है। अर्थात् प्रार्थी के मकान की आवाजाही हेतु वैकल्पिक मार्ग सार्वजनिक रास्ता पूर्व से ही विद्यमान है। प्रार्थी द्वारा पट्टाशुदा भूमि में लोहे की फाटक लगा देने से उसके पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होते है।
2. प्रार्थी द्वारा स्वर्गीय मोतीराम के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टे को इस आधार पर भी चुनौति दी गई है कि उक्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या दो द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के आज्ञापक उपबन्धों की अवहेलना की गई है।
   इस संबंध में ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा प्रेषित प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मिसल संख्या 79/99 में पट्टाधारक स्व. मोतीराम का आवेदन दिनांक 18.08.1999 सलंग्न है, जिस हेतु दिनांक 31.08.1999 को मिसाल कायम कर भूमि निरीक्षण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 123/2024
उनवान : मानाराम बनाम मृत मोतीराम के कायम मुकाम लक्ष्मण व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

हेतु तीन वार्डपंचों की समिति का गठन किया गया। आदेशिकाएँ, नियम 148 के अन्तर्गत आपत्ति ईश्तिहार, भूमि निरीक्षण प्रपत्र, तथा संकल्प संख्या 07 दिनांक 22.11.1999 से संबंधित बैठक कार्यवाही विवरण का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिकॉर्ड के अवलोकन से आलोच्य पट्टे के संबंध में ऐसी कोई महत्वपूर्ण त्रूटि परिलक्षित नहीं होती है जो उक्त विक्रय विलेख को अवैधानिक घोषित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार बन सके।

3. प्रार्थी द्वारा ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि उक्त पट्टा 3168 वर्गफीट माप का जारी किया गया है, जबकि नियम 157 के अन्तर्गत अधिकतम 2700 वर्गफीट माप का पट्टा ही जारी किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 को पढ़ा गया। 300 वर्गगज (2700 वर्गफीट) माप की सीमा वर्ष 2013 में ज़रिए अधिसूचना राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 19.02.2013 को प्रकाशित से उपबंधित की गई थी, जबकि ज़ैर निगरानी पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया था। अतः प्रार्थी का यह तर्क भी परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

4. हस्तगत प्रकरण में दिनांक 17.12.1999 को ज़ारी आलोच्य पट्टा संख्या 4565 को लगभग 24 वर्ष के लम्बे अन्तराल उपरान्त चुनौती दी गई है। जबकि प्रार्थी उक्त पट्टे की वैधानिकता के विरुद्ध न तो कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करवा पाया है और न ही इतने असमान्य विलम्ब के उपरान्त निगरानी प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत कर पाया है।

अतः उपरोक्त वजुहातों के आधार पर हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में एवं सारहीन होने से ख़ारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner